भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न** संख्या- 2552
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

## तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना

**†2552. डॉ. जयंत कुमार राय:**
**श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री पोषण योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इस योजना के अंतर्गत कितने स्कूल और छात्र शामिल हैं;
(ग) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्ववर्ती मिड-डे-मील योजना) (पीएम पोषण) के कार्यान्वयन के लिए अब तक कितनी निधि आवंटित की गई है;
(घ) इस योजना का ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में छात्रों के स्वास्थ्य, नामांकन और उपस्थिति दर पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ङ) सुदूर क्षेत्रों, जहां रसद संबंधी चुनौतियों के कारण समय पर वितरण प्रभावित हो सकता है, में योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(**क**) **और** (**ख**): पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में क्रियान्वित की गई है और इसमें बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1-8 तक के सभी बच्चे शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो गंभीर समस्याओं, अर्थात् भूख और शिक्षा का समाधान करना है:

i) बिना किसी भेदभाव के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

ii) वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना।

iii) गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा/आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) बालवाटिका का समावेश: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों में प्री-स्कूल या बालवाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन।

(ii) तिथि भोजन: तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।

(iii) स्कूल पोषण उद्यान: इस योजना के तहत, बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) सामाजिक लेखापरीक्षा: इस योजना के तहत सभी जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। सामाजिक लेखापरीक्षा समता, समानता और व्यय प्रबंधन के मुद्दों को शामिल करते हुए लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा एक योजना की सामूहिक निगरानी है।

(v) वोकल फॉर लोकल: 'वोकल फॉर लोकल' के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और किसान उत्पादक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ आदि से स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों जैसे श्रीअन्न, सब्जियां, मसालों आदि की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही पोषण मानकों में सुधार किया जा सके।

(vi) विशेष फोकस: आकांक्षी जिलों/आदिवासी जिलों/कुपोषण आदि के चिन्हित उच्च मामलों वाले जिलों में पूरक पोषण के लिए पर्याप्त प्रावधान।

(vii) आपदा प्रबंधन: राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों के तहत घोषित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र या पूरे देश को प्रभावित करने वाली किसी आपदा के कारण स्कूल बंद होने पर बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान।

यह योजना तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्कूलों और छात्रों की संख्या निम्नानुसार है: -

| राज्य/जिला | स्कूल | छात्र |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | 43,038 | 33,86,770 |
| जलपाईगुड़ी(पश्चिम बंगाल) | 2218 | 2,50,073 |

(ग): कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने तमिलनाडु राज्य के लिए कुल 702.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से 443.03 करोड़ रुपये केंद्रीय भाग है और 259.09 करोड़ रुपये वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम अनिवार्य राज्य भाग है। पिछले दस वर्षों के लिए तमिलनाडु राज्य को पीएम-पोषण के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि इस प्रकार है:-

| वर्ष | जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रुपए लाख में) |
|---|---|
| 2014-15 | 63991.10 |
| 2015-16 | 44253.83 |
| 2016-17 | 42846.05 |
| 2017-18 | 42506.34 |
| 2018-19 | 42054.58 |
| 2019-20 | 43121.49 |
| 2020-21 | 49221.67 |
| 2021-22 | 23264.94 |
| 2022-23 | 47700.10 |
| 2023-24 | 39852.49 |

(घ) और (ड): तमिलनाडु राज्य सरकार ने बताया है कि विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में छात्रों के स्वास्थ्य, नामांकन और उपस्थिति दर पर योजना का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं कक्षा तक के 7,41,812 तथा 9वीं और 10वीं कक्षा तक के 1,80,252 बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। स्कूल स्तर पर दैनिक उपस्थिति बनाए रखी जा रही है तथा यह प्रतिशत औसतन 95% के आसपास है। मूल्यांकन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान विभाग, तमिलनाडु द्वारा चयनित जिलों में किए गए नमूना मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कुल मिलाकर, अधिकांश उत्तरदाताओं, लड़के और लड़कियों दोनों का बीएमआई सामान्य है।
- लड़कों में, 59% सामान्य बीएमआई श्रेणी में आते हैं।
- लड़कियों में 63% का बीएमआई सामान्य है।

• ग्रामीण क्षेत्रों के 65% छात्रों का बीएमआई सामान्य है। शहरी क्षेत्रों में, 60% नमूना छात्रों का बीएमआई सामान्य है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना होने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की जाती है तथा इस योजना के सुचारू संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की होती है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए, केंद्र सरकार परिवहन लागत सहित खाद्यान्न की लागत के लिए 100% सहायता उपलब्ध कराती है, यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र प्रदान करती है अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति। इसके अलावा, पोषण विशेषज्ञों से युक्त संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) क्षेत्र के दौरों के माध्यम से इस योजना की समीक्षा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जमीनी स्तर पर योजना के वास्तविक कार्यान्वयन का आकलन करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति

के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन नियम, 2015 में सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या किसी मान्यता प्राप्त या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों का अनिवार्य परीक्षण करने का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पोषण संबंधी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है।

*****